



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1719 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1719

विषय/Sub: टैक्सी/लैंडिंग लाइटिंग बॉक्स, पार्ट सं. 2264 00 000

Taxi / Landing Lighting Box, Part Number: 2264 00 000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ-226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा उत्पादित " टैक्सी/लैंडिंग लाइटिंग बॉक्स", पार्ट सं. 2264 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1719, दिनांक 08 मई 2012 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1719 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Taxi / Landing Lighting Box" bearing the Part Number: 2264 00 000, designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval Number: 1719 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1719, dated: 08th May 2012 with validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st October 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1719, दिनांक 08 जून 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1719, dated: 08th June 2012 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1719/1R
दिनांक / Date : 20 October 2017
फैक्स सं./ Fax No: 080 – 25230856

प्र. JR.
20/10/17


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)